पंचदश बिहार विधान सभा

सप्तदश सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचनायें बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-04.08.2015 के लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री सुबाष सिंह, स०वि०स० श्री राम प्रवेश राय, स०वि०स० श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह, स०वि०स० श्री कृष्णनंदन पासवान, स०वि०स० श्री विनय कुमार सिंह, स०वि०स०	''गोपालगंज जिलांतर्गत गोपालगंज विधान सभा क्षेत्र के हरखुआ से रामचंद्रपुर ग्रामीण कार्य पथ गोपालगंज चीनी मिल को आवागमन की सुविधा प्रदान करता है । विगत पांच वर्षो में मरम्मती नहीं होने के कारण यह पथ अत्यंत जर्जर हो गया है जिसके कारण पैदल तक चलने में कठिनाई हो रही है । छोटी गाड़ियां दु:साहस कर चलती हैं तो वे दुर्घटनाग्रस्त हो रहीं हैं । जर्जर पथ के कारण आये दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं । इस सड़क की चौड़ाई भी मात्र 10 फीट है । अत: हरखुआ से रामचंद्रपुर सड़क के चौड़ीकरण सहित विशेष मरम्मति कराये जाने की ओर हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करते हैं ।"	ग्रामीण कार्य

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
2.	श्रीमती रेणु कुमारी, स०वि०स० श्री मंजीत कुमार सिंह, स०वि०स० श्रीमती उषा सिन्हा, स०वि०स० श्रीमती रजिया खातुन, स०वि०स० श्रीमती मनोरमा प्रसाद, स०वि०स० श्रीमती कुमारी मंजु वर्मा, स०वि०स०	"जे०पी० सम्मान योजना 2009 हेतु 18.03.1974 से 21.03.1977 के बीच मीसा/डी०आई०आर० में बन्दी रहने का प्रमाण देने तथा कारा द्वारा संपुष्टि करने पर स्वीकृति दी जाती है । लेकिन कई शहीद/घायल/जेल जाने वाले कारा अभिलेखों के नष्ट होने के कारण प्रमाण पत्र की अनुपलब्धता अथवा प्रमाण पत्र की सम्पुष्टि के अभाव में वंचित रह जाते है । उदाहरणस्वरूप वर्ष 1979 में खगड़िया उपकारा द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र ज्ञाप सं०-81, दिनांक-16.01.1979 से संबंधित अभिलेख बाद में नष्ट होने के कारण खगड़िया कारा द्वारा इसकी संपुष्टि नहीं की जा रही है । ऐसे सैंकड़ों उदाहरण हैं जिनमें कैदी एक कारा से दूसरे कारा में स्थानान्तरित किए गए । उस कारा में बन्दियों के प्रवेश का अभिलेख तो उपलब्ध है लेकिन उनके निकलने का कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है । इस प्रकार जे०पी० सम्मान योजना से सही आंदोलनकारी वंचित हो रहे हैं । इस योजना से लाभान्वित होने वालों द्वारा प्रमाण पत्र देने पर नये आवेदन की स्वीकृति दी जाती है लेकिन वे प्रारंभिक वर्ष 2009 के लाभ से वंचित रह जाते हैं । अतएव जे०पी० सम्मान योजना के संबंध में एक सम्यक, पूर्ण एवं व्यवहारिक नीति निर्माण हेतु हम सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।"	गृह

हरेराम मुखिया
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-28/15- 1395 / वि०स०, पटना, दिनांक- 03 अगस्त, 2015 ई० ।

प्रति :- बिहार विधान सभा के सदस्यगण / मुख्य मंत्री / मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / कार्यकारी सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना / संसदीय कार्य विभाग / ग्रामीण कार्य विभाग तथा गृह विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

3.8.15
(भूषण कुमार झा)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-28/15- 1395 / वि०स०, पटना, दिनांक- 03 अगस्त, 2015 ई० ।

प्रति :- उप सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय / अपर आप्त सचिव, उपाध्यक्षीय कार्यालय / अवर सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

3.8.15
(भूषण कुमार झा)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।